तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2089/2017/जालोर** **सरकार बनाम रामा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री हरदत्त सहारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(2) श्री अशोक मेघवंशी उप राजकीय अभिभाषक
(2) अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक : 03–01–2024

यह रैफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2015 में पारित निर्णय दिनांक 14.02.2017 द्वारा अनुशंषा करते हुए राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय जिला कलक्टर जालोर के समक्ष रेफरेंस प्रार्थनापत्र सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दंडनायक भीनमाल मुख्यालय सांचोर के राजस्व वाद संख्या 226/77 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–1977 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 02/2015 दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 14.02.2017 द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर जमाबंदी संवत 2028–31 के अनुसार की खातेदारी भूमि मौजा पूनासा के पूराने खसरा नं0 475 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय में 2/3 हिस्से को अन्य वर्ग अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति मूपा पुत्र उखरडा साकिन भील निवासी पूनासा तहसील भीनमाल के नाम पर खातेदारी में दर्ज करने व उसके पश्चात हुए समस्त राजस्व इंद्राजात को निरस्त करते हुए रेफरेंस में वर्णित वादग्रस्त आराजी को पुनः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान कराने हेतु मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया है।

3– हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेफरेंस प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में सहायक कलक्टर भीनमाल मुख्यालय सांचोर द्वारा उनके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 226/77 मूपा पुत्र उखरडा भील साकिन पूनासा बनाम तारा आदि पुत्र केसा भांबी साकिन पूनासा तहसील भीनमाल में पारित किए गए निर्णय/डिक्री दिनांक 31–10–2077 हस्ताक्षरित दिनांक 25–10–1977 व उसके आधार पर भरा गया नामांतकरण हेतु रेफरेंस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति जूंजा, तारा, भेमा पिसरान केशा कौम भांबी साकिन पूनासा तहसील भीनमाल की खातेदारी भूमि मौजा पूनासा के पुराने खसरा नं0 475 रकबा रकबा 20.17 बीघा किस्मा बारानी द्वितीय में 2/3 हिस्से को अन्य वर्ग के व्यक्ति मूपा पुत्र उखरडा साकिन भील निवासी पूनासा तहसील भीनमाल के नाम पर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दंडनायक भीनमाल मुख्यालय सांचोर के न्यायालय की पत्रावली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/2089/2017/जालोर** **सरकार बनाम रामा आदि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अनुसार वादग्रस्त दावा 14.04.1975 को वादी मूपा पुत्र उखरडा भील साकिन पूनासा द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को दावे के द्वारा अन्य वर्ग अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित किया गया है। उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि को अनियमित डिग्री द्वारा अन्य वर्ग अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तांरित किया गया जो धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि अनुसूचित जाति द्वारा अन्य वर्ग अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरित किया गया है जो धारा 42 बी आरटीए के प्रावधानों के विपरीत है। 4— अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार करना न्यायहित में उचित समझते हैं। 5— फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दंडनायक भीनमाल मुख्यालय सांचोर द्वारा उनके न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 226/77 मूपा पुत्र उखरडा भील साकिन पूनासा बनाम तारा आदि पुत्र केसा भांबी साकिन पूनासा तहसील भीनमान में पारित किए गए निर्णय/डिक्री दिनांक 31—10—1977 द्वारा अनूसूचित जाति के व्यक्ति जूंजा, तारा, भेमा पिसरान केशा कौम भांबी साकिन पूनासा तहसील भीनमान की खातेदारी भूमि मौजा पूनासा के पुराने खसरा नं0 475 रकबा 20.12 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में 2/3 हिस्से को अन्य वर्ग अनुसूचित जनजाति के नाम पर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश व उसके पश्चात हुए समस्त राजस्व इंद्राजात को निरस्त करते हुए उक्त भूमि की खातेदारी पुनः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	